एमएसएमई सेक्टर (सूक्ष्म (माइक्रो), लघु (स्माल) और मध्यम उद्यम क्षेत्र)

• एमएसएमई सेक्टर ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विकास, विनिर्माण, सेवा, औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार के अवसरों का सृजन, आदि की दिशा में काफी योगदान किया है

• एमएसएमई कृषि के बाद सबसे बड़ा एकल नियोक्ता है, सकल घरेलू उत्पाद के 8%, विनिर्माण उत्पादन 40% और देश के निर्यात मे 45% योगदान दे रहा है।

ए) **<u>विनिर्माण क्षेत्र</u>**: संयंत्र और मशीनरी में निवेश (भूमि एवं भवन निर्माण छोड़कर)

• माइक्रो: रुपये 25 लाख तक,

•स्माल: रूपये 25 लाख से ऊपर 5 करोड़ तक,

• मध्यम: रूपये 5 करोड़ रु. से ऊपर रु. 10 करोड़ तक

बी) सेवा क्षेत्र: उपकरण में निवेश (भूमि और भवन को छोड़कर)

• माइक्रो: रूपये 10 लाख रुपए तक,

• छोटे: रूपये 10 लाख से ऊपर 2 करोड़ रूपए तक,

• मध्यम: रूपये 2 करोड़ रु. से ऊपर 5 करोड़ रु तक

सहायता डेस्क: परिषद सदस्यों के लाभार्थ हेल्प डेस्क बनाने का प्रयास कर रही है जहा निम्नकित की जानकारी प्रदान की जाएगी।

• कंपनी पंजीकरण
• प्रोप्राइटरशिप (व्यापार लाइसेंस)
• भागीदारी (ट्रेड लाइसेंस, एलएलपी, डीड पंजीकरण)
• कंपनी (आरओसी, ट्रेड लाइसेंस)
• वैट पंजीकरण
• सीमा शुल्क पंजीकरण
• एसएमई/ एसएसआई पंजीकरण
• प्रोविडेंट फंड/ ईएसआई पंजीकरण
• फैक्टरी लाइसेंस
• आईई कोड के लिए पंजीकरण (डीजीएफटी)

बैंकिंग, बीमा, कराधान, बाजार की जानकारी, टैरिफ, मुक्त व्यापार समझौते

• जनरल बैंकिंग मुद्दे
• भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्दे

• ईसीजीसी
• बीमा सपोर्ट
• प्रत्यक्ष कर - आयकर
• अप्रत्यक्ष कर - सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट
• बाजार सूचना - आयात/ निर्यात के नियम
• रफ ख़रीदारी मे सहयोग - एसएनज़े में खनन कंपनियों के साथ पंजीकरण
• वित्त

जीजेईपीसी संबंधित गतिविधि/ परियोजना मे सहयोग :

• सदस्यता और आरसीएमसी
• प्रदर्शनियां - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय
• सहभागिता एवं अनुमति
• बाजार विकास सहायता
• विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन
• सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना
• उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना
• जीजेईपीसी संस्थान आईआईजीजे, आईीआई के माध्यम से प्रशिक्षण
• परीक्षण सुविधा
• बेहतरीन उद्यमशीलता के लिए पुरस्कार: सफल उद्यमियों की उपलब्धियों को सम्मानित कर मान्यता प्रदान करना ।

रत्न एवं आभूषण उद्योग (एमएसएमई-चुनौतियां) उद्योग को पेश आ रही चुनौतियों का सामना:

• **आयात पर निर्भरता**: रत्न एवं आभूषण उद्योग कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर मुख्यतया निर्भर है और आयातित वस्तुओं के बीच कच्चे हीरे आयात लगभग 50% हिस्से में आते हैं। भारत दुनिया में चांदी के सबसे बड़े आयातक और उपभोक्ताओं में से एक है।

• **वित्तीय समर्थन की कमी**: उद्योग को बैंकों से भी वित्तीय सहायता के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है,

• **विनिमय दर में उतार चढ़ाव**: रत्न और आभूषण उद्योग रुपया/ ॉलर की विनिमय दर से प्रभावित होता है क्योंकि यह निर्यात और आयात आधारित उद्योग है। विनिमय दरों में कोई भी बदलाव व्यपारियों के मार्जिन को प्रभावित करता है।

• **बदलती उपभोक्ता पसंद**: वैश्विक विपणन को जेम्स एं ज्वैलरी का फैशन बदलने के साथ तालमेल रखने की आवश्यकता होती है विशेष रूप से हीरे, सोने और चांदी की बहुत ऊंची कीमतों के संदर्भ में।

एमएसएमई के लिए कुछ कार्रवाई बिंदु

• गुजरात, सूरत, भावनगर, नवसारी, त्रिचूर, राजकोट आदि में संगोष्ठी का आयोजन जारी ।

• हेल्प डेस्क विकसित करने का कार्य जारी ।

• सदस्यों को कॉल करने और बिभिन्न योजनाओ की जानकारी देने और आगे के फालो अप के लिए कि क्या उन्होंने इस योजना का लाभ उठाया या नहीं, यदि नहीं तो क्या कारण ह?

• जीजेईपीसी द्वारा अतीत में किए गए सर्वेक्षण की समीक्षा करने के लिए।

• एमएसएमई के लिए एप्स बनाना।

• सोसल मीडिया फेस बूक / ट्विटर / व्हाट्सएप आदि की मदद लेना ।

• विभिन्न श्रेणी में एक लक्ष्य को परिभाषित करेने और कम से कम 200 सदस्य को इस तरह से तयार करना जो की अपने बही खातों आदि को वित्त के अनुसार उचित तरीके से रखकर अपना कामकाज करें।

•साइट होल्डर बनने के लिए उनके बीच प्रतिस्पर्धा पदा करने के लिए एसएमई साइट होल्डर अवधारणा को विकसित करने का प्रयास करना ।

• संभावित रफ सोर्सिंग मंच एसएमई के लिए विकसित करने की संभावना का पता लगाना।

एमएसएमई सेक्टर के लिए भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई योजनाएं और वित्तीय सहायता : डीसी एमएसएमई योजनाएं:

इंक्यूबेटर्स- के माध्यम से एसएमई की उद्यमशीलता और प्रबंधकीय विकास के लिए सपोर्ट- एक एनएमसीपी योजना ('बिजनेस इन्क्यूबेटर्स' की स्थापना के लिए सहायता):

अभिनव व्यापार विचारों (नई स्वदेशी तकनीक, प्रक्रियाओं, उत्पादों, प्रक्रिया आदि) के पोषण के लिए पायलट परियोजनाओं और प्रारंभिक चरण का वित्त पोषण के लिए बुनियादी ढांचे का विकास प्रदान करना

गुणवत्ता प्रबंधन मानक और गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी टूल्स के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी होने के लिए सक्षम करना- एक एनएमसीपी योजना:

गुणवत्ता प्रबंधन मानकों / गुणवत्ता प्रौद्योगिकी उपकरण और संबंधित डीसी एमएसएमई योजनाओं पर एमएसएमई को सेंसिटाईज़ करने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता की गतिविधियों/ अभियान का आयोजन करना जसे 'क्यूएमएस सबंधी जागरूकता' कार्यशाला।

एमएसएमईएस के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) जागरूकता बनाना - एक एनएमसीपी योजना:

आईपीआर की पहचान के लिए मूल्यांकन अध्ययन को बढ़ावा देने और आईपी पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एमएसएमई क्लस्टरों/ उद्योगों की पहचान की जरूरत ह।

एमएसएमईएस की विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन- एक एनएमसीपी योजना:
'आधुनिक विपणन तकनीक' पर कौशल विकास/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन:

आधुनिक विपणन तकनीक पर क्लस्टर/ उत्पाद समूह सदस्यों के कौशल उन्नयन के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं से सक्षम संकायों की सेवाओं का उपयोग करके स्पेशियलाईज्ड संस्थानों/ उद्योग संघों द्वारा डिजाइण्ड और आयोजित।

'मार्केटिंग हब' (बुनियादी ढांचा विकास) की स्थापना:
ए. एमएसएमई के बीच बी 2 बी बठक सुविधाएं प्रदान करने के लिए, एमएसएमई उत्पादों के थोक और खुदरा विपणन,
बी. एमएसएमई के उत्पादों के लिए निर्यात अवसरों की खोज
सी. नए ग्राहकों को आकर्षित करना और एमएसएमई की विपणन पहुंच बढ़ाने के लिए।

व्यापार प्रतियोगिता स्टडीज (बाजार अनुसंधान/ विश्लेषणात्मक अध्ययन) का आयोजन:
उन क्षेत्रों की पहचान जिनमें विपणन/ ब्रांडिंग रणनीति से संबंधित मुद्दों की वजह से उत्पाद अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से खतरे में हैं।

राज्य/ जिला स्तर व्यापार मेलों में एमएसएमई की भागीदारी :
ए. व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए मुफ्त पंजीकरण।
बी. एमएसएमईएस विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता एवं विपणन मंच प्रदान करना
सी. सामान्य श्रेणी: ट्रेन/ बस किराया/ स्थान किराये शुल्क में 50% की प्रतिपूर्ति और अधिकतम रु. 20,000/- तक प्रति व्यक्ति प्रति एमएसएमई यूनिट सीमा
डी. महिला/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पूर्वोत्तर क्षेत्र: ट्रेन/ बस किराया/ स्थान किराये शुल्क में 80% की प्रतिपूर्ति और अधिकतम रु. 30,000/- तक प्रति व्यक्ति प्रति एमएसएमई यूनिट सीमा।

'एमएसएमईएस को तकनीक और गुणवत्ता उन्नयन (टीईक्यूयूपी) सपोर्ट'- एक एनएमसीपी योजना:

बैंकों (सिडबी) के माध्यम से पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से एमएसएमई क्लस्टरों को प्रोत्साहित करें ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए निम्न कार्यक्रमों के तहत:

ए. ऊर्जा दक्षता पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
बी. ऊर्जा आडिट आयोजित करना, ऑडिट रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।
सी. 'ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी' पर पायलट परियोजनाओं को लागू करना।
डी. 'उत्पाद प्रमाणन: राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों या अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद से उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस पर किए गए व्यय पर सब्सिडी/ प्रतिपूर्ति प्रदान करना।

'सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी)':

ए. 'क्लस्टर विकास' पर एमएसएमई क्लस्टरों/ जागरूकता कार्यक्रमों में साफ्ट हस्तक्षेप का योजन: (**कौशल विकास):** गतिविधियां जैसे सामान्य जागरूकता, परामर्श, प्रेरणा और विश्वास निर्माण, एक्सपोजर दौरे, बाजार विकास जिसमें शामिल है निर्यात, सेमिनार में भागीदारी, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि पर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

बी. क्लस्टर स्तरीय 'विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपी र)' (विश्लेषणात्मक अध्ययन) तैयार करना: सीएफसी खड़े करने के लिए तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तीय व्यवहार्यता का विश्लेषण करने, नए औद्योगिक एस्टेट/ इलाके/ क्लस्टर और अन्य पहलुओं के लिए ढांचागत विकास परियोजना की स्थापना के लिए।

सी. **'सामान्य सुविधा केंद्रों' की स्थापना**: टैंजीबल "एसेट्स" जैसे परीक्षण सुविधा, डिजाइन और उत्पादन केंद्र, प्रवाह उपचार संयंत्र, प्रशिक्षण एवं सूचना केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, कच्चे माल की बैंक/ बिक्री डिपो, उत्पाद डिस्प्ले केंद्र, आदि की तरह सहित।

डी. 'प्रौद्योगिकी उन्नयन (CLCS- टीयू) के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी (क्रेडिट और लिए गए ऋण पर 15% पूंजी सब्सिडी): एमएसएमईएस प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए लिए गए क्रेडिट पर पूंजी सब्सिडी (15%) प्राप्त कर सकते हैं।

ई. 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड': बैंक और वित्तीय संस्थान इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं ताकि वे बदले में एमएसएमईएस को जमानत मुक्त क्रेडिट दे सकें।

एफ. **'आईएसओ 9000/ आईएसओ 14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति:** ऐसे एमएसएमई विनिर्माण इकाइयों को एक बार व्यय की प्रतिपूर्ति जो ईएसओ 18000/ ईएसओ 22000/ ईएसओ 27000 प्रमाणन हासिल कर लेते हैं।

जी. **'बाजार विकास सहायता (एमडीए) एमएसएमई को'**:

एच. अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में एमएसएमईएस की प्रतिभागिता:
ए. व्यापार मेलों में प्रतिभागिता के लिए मुफ्त पंजीकरण को प्रोत्साहित करना।
बी. सामान्य श्रेणी: एमएसएमई उद्यमियों को 75% हवाई किराया और 50% जगह किराए की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा प्रति एमएसएमई यूनिट एक व्यक्ति के लिए रु. 1.25 लाख।
सी. महिला/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / पूर्वोत्तर क्षेत्र: हवाई किराया और जगह किराए की 100% प्रतिपूर्ति।

आई. अनुसंधान एवं विकास क प्रयासों क लिए राष्ट्रीय पुरस्कार: इन हॉउस अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करना, एमएसएमई के गुणात्मक विकास को बढ़ावा देना।

एसएमई डिवीजन योजना
1. 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' (ईसी): यह योजना निम्नलिखित गतिविधियों को कवर करेगी:
•प्रौद्योगिकी सव/ उन्नयन के नए क्षेत्रों की खोज, संयुक्त उद्यमों की सुविधा में सुधार, एमएसएमई उत्पादों, विदेशी सहयोग, दि के बाजार के लिए अन्य देशों में एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की डेपुटेशन
•भारतीय एमएसएमई द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, विदेशों के साथ ही भारत में व्यापार मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में प्रतिभागिता, जिसमें अंतरराष्ट्रीय भागीदारी नहीं है।

•एमएसएमई की रूचि के टॉपिक्स और थीम्स पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और संगोष्ठियां बुलाना।
•वित्तीय सहायता जो विमान किराया और स्पेस रेंट की प्रतिपूर्ति की जाती है उद्यमों के आकार और प्रकार के आधार पर।

2.'**परफोर्मेंस और क्रेडिट रेटिंग योजना-** पीसीआर योजना' राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी): सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बीच उनके संचालनों की ताकत/ कमजोरियों और साथ ही कारोबार में एमएसएमई की ऋण पात्रता के बारे में जागरूकता पैदा करता है उन्हें समय पर बैंकों से उदार ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में मदद करता है। उद्यम एनएसआईसी के पैनल में शामिल रेटिंग एजेंसियों में से किसी का भी चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं अर्थात क्रिसिल, ओनीक्रा, इकरा, एसएमईआरए, ब्रिकवर्क, इंडिया रेटिंग्स (पहले फिच के रूप में जानी जाती थी) और केयर।

(ए) रेटिंग शुल्क का 75% अधिकतम रु. 25,000/- तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी सूक्ष्म या लघु उद्यम के लिए जिनका कारोबार 50 लाख रुपये तक का हो।

(बी) रेटिंग शुल्क का 75% अधिकतम रु. 30,000/- तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी सूक्ष्म या लघु उद्यम के लिए जिनका कारोबार 50 लाख रुपये से ऊपर 200 लाख तक का हो।

(सी) रेटिंग शुल्क का 75% अधिकतम रु. 40,000/- तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी सूक्ष्म या लघु उद्यम के लिए जिनका कारोबार 200 लाख रुपये से ऊपर हो।

३. **विपणन सहायता योजना के तहत विपणन सपोर्ट-** राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी): विदेश में प्रदर्शनियां आयोजित करना और अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रदर्शनियों/ व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठक, इंटेंसिव कैम्पेन एवं विपणन संवर्धन कार्यक्रमों में प्रतिभागिता। वित्तीय सहायता इनके लिए

ए. अन्य संगठनों/ उद्योग संघों/ एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों का सह-प्रायोजन शुद्ध व्यय के 40% तक सीमित रहेगा, जो अधिकतम 5 लाख रु. तक रहेगा,

बी. उद्यम के आकार और प्रकार के आधार पर उद्यमियों का विमान किराया और अंतरिक्ष किराया का 95% तक।

4. **एनएसआईसी द्वारा मार्केटिंग समर्थन क्रियाएँ**: एमएसएमई के उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए विपणन/ प्रमोटिंग की सुविधा।

ए. बैंक क्रेडिट फेसिलिटेशन योजना, एनएसआईसी योजनाएं: एनएसआईसी विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों से एमएसएमई के लिए ऋण सहायता (निधि या गैर निधि आधारित सीमा) की व्यवस्था करती है और और बैंकों के लिए क्रेडिट प्रस्ताव प्रस्तुत करने से संबंधित

सभी दस्तावेज एनएसआईसी द्वारा किए जाएँगे जिससे एमएसएमई के लिए लागत और समय की बचत होगी।

बी. कच्चे माल की सहायता योजना, एनएसआईसी योजनाएं: कच्चे माल (स्वदेशी और आयातित दोनों) की खरीद के लिए वित्तीय सहायता 90 दिनों तक ताकि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण पर बेहतर ध्यान केंद्रित करें। एमएसई थोक खरीद, नकद छूट आदि पर अर्थशास्त्र का लाभ उठाने में मदद करती है। एनएसआईसी आयात के मामले में सभी प्रक्रियाओं, प्रलेखन और ऋण पत्र के मुद्दे का ख्याल रखता है।

सी. सिंगल प्वाइंट पंजीकरण योजना (SPRS), एनएसआईसी योजनाएं: सरकार स्टोर खरीद कार्यक्रम लघु उद्योग क्षेत्र से खरीद की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। सरकारी खरीद में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से SPRS के तहत पंजीकृत एमएसई के लिए पात्र हैं।

ए. मुफ़्त टेंडर जारी करना

बी. बयाना जमा राशि (ईएमडी) के भुगतान से छूट आदि

डी. बिल छूट योजना, एनएसआईसी योजनाएं: यह योजना वास्तविक व्यापार लेनदेन से उत्पन्न खरीद/ बिलों की छूट यानी प्रतिष्ठित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/ राज्य और केंद्र सरकार के विभागों के लिए लघु उद्योग इकाइयों द्वारा बनाई आपूर्ति की खरीद को शामिल किया गया है।

ई. एक सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम स्थापित करने के लिए सपोर्ट:

ए. गुणवत्ता प्रमाणन आईएसओ 9000: 75% तक प्रतिपूर्ति अप, प्रति यूनिट रु. 0.75 लाख तक अधिकतम।

बी. प्रौद्योगिकी और मशीनरी: उपकरण व मशीनरी चयन करने से पहले उद्यमी एनएसआईसी की सलाह ले सकते हैं।

सी. वित्त सहायता: लंबे, मध्यम एवं (1 करोड़ रुपये का ऋण सीमा तक लघु अवधि के ऋण) एनएसआईसी के माध्यम से सिडबी आदि के द्वारा।

डी. क्रेडिट गारंटी कवर निधि योजना: जमानत सुरक्षा के बिना क्षेत्र में ऋण के अधिक से अधिक प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए लघु उद्योग के लिए भारत सरकार और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से (4: 1 अंशदान के आधार पर) शुरू की गई थी।

1. **एमएसएमई के लिए गुजरात राज्य स्तरीय योजनाएं/ प्रोत्साहन**

एमएसएमई के लिए गुजरात राज्य स्तरीय योजनाएं/ प्रोत्साहन नई औद्योगिक नीति के तहत:

गुजरात सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत एमएसएमई को दिए गए प्रोत्साहन निम्नानुसार हैं:

बैंकों की सावधि ऋण पर नकद सहायता की नई योजना: नगर निगम क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख रुपये और अन्य क्षेत्रों में 25 लाख रुपये।

ए. नई एमएसएमई और मौजूदा एमएसएमई को सहायता: सहायता के नियम इस प्रकार हैं:

i. नगर पालिका क्षेत्र के अंदर: नकद सहायता: ऋण राशि का 10% या अधिकतम 15 लाख रुपए सहायता, ब्याज सहायता: 5% हर साल या 5 साल के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये।

ii. अन्य क्षेत्र: नकद सहायता: ऋण राशि का 15% या अधिकतम 25 लाख रुपए सहायता, ब्याज सहायता: 7% हर साल या 5 साल के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये।

iii. ब्याज सहायता वृद्धि: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग और युवा उद्यमियों को एमएसएमई इकाइयों के लिए अतिरिक्त 1% ब्याज सहायता।

बी. वेंचर कैपिटल सहायता: नए उद्यमियों के लिए एक अभिनव परियोजना स्थापित करने के लिए, 50 लाख रुपये की ऋण सहायता इक्विटी/ ऋण के माध्यम से दी जाएगी।

सी. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण: प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए 50 लाख रुपये की सहायता।

डी. क्रेडिट गारंटी सहायता: औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए बैंक के लिए एसएमई शुल्क (महिलाओं, एस.सी., एसटी और शारीरिक रूप से विकलांग उद्यमियों को गारंटर के बिना 1 करोड़ रुपये के उद्यमी ऋण)।

ई. मौजूदा एमएसएमई को अतिरिक्त सहायता: उद्योग के विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए। सहायता नियम इस प्रकार हैं:

•उद्यम संसाधन योजना की स्थापना 50% या 50,000 रुपये तक की सहायता - उद्योग के दैनिक प्रबंधन में सरलीकरण के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर।

•बिजली संरक्षण, प्रदूषण कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई आधुनिक तकनीक की खरीद के लिए 50% या 50 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

• एक्स्पैन्डीचर के लिए 50% या 10 लाख रुपये तक की सहायता जो परीक्षण उपकरण की खरीद करने के लिए किया गया था, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 50% या 5 लाख रुपये तक की सहायता।

•बिजली, पानी व बचत को प्रेरित करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने और उपकरणों के उपयोग के मामले में 75% या 50,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी, तब उपकरण के मूल्य का 25% की सहायता या रु. 20 लाख दिए जाएंगे।

• इकाइयां जो इक्विटी पूंजी अर्जित करने के लिए एमएसएमई एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहती हैं वे पंजीकरण व्यय का 20% या 5 लाख रूपए की सहायता प्राप्त करेंगे।

•राज्य के युवा/ उद्योगपति जो अपने अभिनव विचार, प्रौद्योगिकी या प्रक्रिया के लिए अपने पेटेंट रजिस्टर करते हैं, उन्हें पेटेंट के पंजीकरण व्यय पर 75% तक सहायता मिल जाएगी।

2. **आंध्र प्रदेश: राज्य स्तरीय योजनाएं और प्रोत्साहन**

ए. स्टाम्प ड्यूटी: औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि/ शेड/ इमारतों की खरीद या पट्टे पर भुगतान किए गए स्टैम्प व हस्तांतरण शुल्क के 100% की प्रतिपूर्ति, 6 महीने के भीतर बंधक और सहयोग।

बी. वैट/ सीएसटी/ एसजीएसटी:

• सूक्ष्म और लघु उद्योग: शुद्ध वेट/ सीएसटी/ एसजीएसटी का 100% प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए।

• मध्यम उद्योग: शुद्ध वेट/ सीएसटी/ एसजीएसटी का 75% प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के लिए या 100% स्थाई पूंजी निवेश की प्राप्ति पर प्रतिपूर्ति, जो भी पहले हो।

सी. फिक्स्ड कैपिटल सब्सिडी: फिक्स्ड कैपिटल निवेश पर 15% निवेश सब्सिडी एमएसई के लिए 20 लाख रुपए अधिकतम।

डी. पावर: वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 5 साल के लिए प्रति यूनिट 1.00 पर फिक्स्ड बिजली की लागत प्रतिपूर्ति पर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

एफ. भूमि: औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि रूपांतरण शुल्क के 25% की प्रतिपूर्ति 10 लाख रुपये तक सीमित।

•प्रत्येक जिले में APIIC के किसी भी 2 विकसित औद्योगिक पार्क में एमएसएमई उद्योगों के लिए भूमि के कुल क्षेत्रफल के 15% का रिजर्वेशन। जिसमें से APIIC अनुसूचित जाति उद्यमियों को भूखंडों का 15%, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को भूखंडों का 5%, पिछड़ा वर्ग को 20% और अल्पसंख्यकों को 5% और महिला उद्यमियों को भूखंडों की 10% संख्या आवंटित करेगा।

जी. आंध्र प्रदेश लघु उद्योग पुनरुद्धार योजना 2006: सभी पहचानी/ पात्र बीमार इकाइयों के लिए 6% की ब्याज सब्सिडी, 3 साल की एक अधिकतम अवधि के लिए प्रति वर्ष 2 लाख रुपये अधिकतम।

एच. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत ऋण प्रवाह बढ़ाना: जमानत मुक्त ऋण वित्तीय संस्थानों द्वारा मंजूर किया जाना, 1 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त (अधिकतम) शुल्क द्वारा ऐसे ऋण पर वार्षिक सेवा शुल्क

निम्नानुसार है: 1ला वर्ष - 1.5% और 2 रे साल के बाद से - 0.75% . ब्याज सब्सिडी नई एमएसई व्दारा स्थाई पूंजी निवेश के लिए लिया अवधि ऋण पर प्रदान की जाती है।
आई. एमएसएमई पार्क: GoAP प्रत्येक जिले में म बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, औद्योगिक जल पूर्ति, बिजली, प्रवाह उपचार संयंत्र के साथ 25 एकड़ जमीन तक एक समर्पित एमएसएमई पार्क की स्थापना करेगा।

3. **एमएसएमई योजनाएं महाराष्ट्र**:
राज्य से मुख्य निर्यात उत्पाद हैं रत्न और भूषण, सॉफ्टवेयर, कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र, सूती धागा, धातु और धातु उत्पाद कृषि धारित उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, ड्रग्स व फार्मास्यूटिकल्स और प्लास्टिक व प्लास्टिक इटम।

एमएसएमई के लिए संस्थागत समर्थन (राज्य):
एमएसएमई- विकास संस्थान (एमएसएमई- डि), मुंबई: 1954 में महाराष्ट्र में मुंबई में स्थापित, नीति को बढ़ावा देने के उपाय, तकनीकी सेवाएं, विक्रेता विकास कार्यक्रम, थिक जांच एवं सांख्यिकीय सेवाएं, प्रबंधन विकास कार्यक्रम और कंसल्टेंसी, कौशल विकास प्रशिक्षण दि प्रदान करता है।
1. **उद्योगों की महानिर्देशालय**: विकास युक्त की अध्यक्षता में उद्योग विभाग के प्रमुख संगठन क्षेत्र (इंडस्ट्रीज।)। हर जिले में एक जिला उद्योग केंद्र (डी ईसी) है। निदेशालय निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:
ए. कच्चे माल और पूंजीगत वस्तुओं के यात के लिए सिफारिशें करता है।
बी. मुंबई महापालिका क्षेत्र में उद्योगों के स्थान के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करता है।
सी. उद्योग के लिए लाइसेंस की सिफारिश और शहरी भूमि सीलिंग एक्ट के तहत औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि अनुदान छूट और सहकारी औद्योगिक एस्टेट की स्थापना।
डी. साथ ही यह राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों/ शिक्षित बेरोजगारों के लिए कार्यक्रम भी तैयार और लागू करती है।

2. **उद्योग मित्र, 1979, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में (इंडस्ट्रीज)। मुख्य गतिविधियां:**
ए. नियमों और विनियमों के संबंध में उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान करता है।
बी. नीति और निर्णय लेने की सुविधा में बदलाव के बारे में सरकार को सलाह देते हैं।
सी. जल्दी मंजूरी & सेक्टर क्षेत्र के उद्यमियों के लिए एकल बिंदु संपर्क हासिल करने के लिए उद्यमियों की ओर से संपर्क करने के लिए।
3. **महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), 1962:**

ए. राज्य में योजना बनाने और व्यवस्थित औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, भारत सरकार/ अर्द्ध सरकारी परियोजनाओं को लागू करना।

बी. एमआईडीसी उद्यमियों को आवश्यक ढांचागत सुविधाएं के साथ विकसित भूखंडों की आपूर्ति करती है जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में आंतरिक सड़कें, पानी, बिजली और अन्य आंतरिक सेवाएं

4. महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम (MSSIDC), 1962, इसकी गतिविधियां हैं:

ए. लघु उद्योग द्वारा अपेक्षित कच्चे माल की खरीद और वितरण।

बी. उनके उत्पादों के विपणन और भंडारण और माल की हैंडलिंग के लिए उपलब्ध सुविधाओं को बनाने में सहायता प्रदान करना।

सी. आयात और निर्यात में लघु उद्योगों के विकास में सहायता, हस्तशिल्प कारीगरों की मदद करना और प्रदर्शनियों का आयोजन।

5. महाराष्ट्र उद्यमिता विकास केन्द्र (MCED): उद्यमिता पर पेशेवर और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना जैसे उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), स्व रोजगार के लिए विकास कार्यक्रम (DPSE)।

6. एमएसएमई के लिए संस्थागत समर्थन (केन्द्रीय सरकार):

ए. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी): पहली पीढ़ी के उद्यमियों को सहायता प्रदान करता है **परीक्षण सुविधाओं के सृजन के माध्यम से** न्यूनतम निवेश के साथ उद्यमों की स्थापना के लिए और एण्ड उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए।

बी. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), 1990: लघु उद्योग क्षेत्र में प्रमोशन, वित्त पोषण और उद्योग के विकास व इसी तरह की अन्य गतिविधियों में लगे संस्थानों के समारोह के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था।

7. **सूक्ष्म और लघु उद्यम** - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी):

ए. क्लस्टर विकास योजना के लाभ: प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, बाजार की चुनौतियों से बेहतर रिस्पान्सिवनेस और सूचना का प्रसार तेज करना, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान- प्रदान (संगठनात्मक क्षमताओं, कौशल, तकनीकी नवाचार) आदि।

बी. सब्सिडी/ एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन:

ए. बिजली की दरों में सब्सिडी: नई इकाइयां पात्र।

बी. ब्याज सब्सिडी: 5% प्रति वर्ष खपत की गई बिजली की वैल्यू तक अधिकतम।

सी. ऊर्जा और जल लेखा परीक्षा: जल एवं ऊर्जा लेखा परीक्षा की लागत का 75% प्रतिपूर्ति।

डी. बिजली शुल्क छूट: 100% बिजली शुल्क छूट निर्यात उन्मुख एमएसएमई और आईटी/ बीटी इकाइयों के लिए 7 साल।
ई. 100% स्टाम्प शुल्क छूट: भूमि प्राप्त करने के लिए (पट्टा अधिकार/ बिक्री के प्रमाण पत्र का काम भी शामिल है) और अवधि ऋण का उद्देश्य।

8. श्रम कानून और प्रक्रियाओं में संशोधन: नई आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए उद्योग और मजदूरों को सक्षम करने के लिए। i. ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। ii. निरीक्षण/ पेपर वर्क की प्रक्रिया की संख्या कम होगी।
9. विशेष आर्थिक सेक्टर क्षेत्र नीति (सेज): सेज शुल्क मुक्त परिक्षेत्रों हैं जो तीव्र औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़े विदेशी और घरेलू निवेश के प्रवाह को गति प्रदान करने के लिए हैं।
10. बीमार एसएसआई इकाइयां: बीमार एसएसआई इकाइयां सरकार व बिजली की बकाया राशि के पुनर्निर्धारण के लिए हाथ में ली गई हैं। पुनर्निर्धारित बकाया पर ब्याज दर अब 13% से कम कर 10% हो जाएगा, केवल 'ए' राज्य के क्षेत्रों को छोड़कर। इस तरह के बकाया की अदायगी 60 मासिक किस्तों में करने की अनुमति दी जाएगी जो पहले 30 महीने ही था।

4. **मध्य प्रदेश: एमएसएमई सेक्टर के लिए एम□ी प्रोत्साहन:**
• प्रस्तावित 27 औद्योगिक क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए कुछ भूखंडों का रिजर्वेशन। सरकार ने 27 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए Rs.3,000 करोड़ की एक व्यापक योजना का प्रस्ताव किया है।
• फीडर विभक्तिकरण योजना व एमएसएमई के लिए विशेष समूहों के विकास के तहत 24x7 बिजली की आपूर्ति।
• स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए निर्यात कर के भुगतान में छूट।
• राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये की प्रारंभिक आवंटन के साथ वित्त पोषित एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम।
• वेंडर विकास कार्यक्रम संयुक्त रूप से चेम्बर ऑफ कामर्स और भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आईआईएम) इंदौर के साथ शुभारंभ किया गया 10 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ।
•सभी 113 एमओयू में विमर्श किया गया जिसमें एमएसएमई सेक्टर में रु. 670 करोड़ के प्रस्तावित निवेश से 6,700 रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उम्मीद की जा रही है।
•ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू की जाएगी निरंतर बिजली आपूर्ति के साथ प्रदान की जाएगी।
•एमएसएमई सेक्टर में गुणवत्ता और कौशल विकास में सुधारके लिए सरकार द्वारा एक विशेष अनुदान होगा।

5. **एमएसएमई योजनाएं, तमिलनाडु:**
उद्योगों/ उद्योगपतियों की समस्याओं को हल करने के लिए, जिला स्तर पर समितियों के दो प्रकार होते हैं अर्थात।
ए. सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमेटी (SWCC): जब वे नए उद्योग शुरू कर रहे हैं तो कई सरकारी एजेंसियों के साथ डीलिंग करने और कई मंजूरियां पाने की बजाय SWCC एकल खिड़की पर उनकी समस्याओं के मार्गदर्शक और सुलझाने में उद्यमियों की मदद करता है।

बी. जिला उद्यम विकास सलाहकार समिति (DEDCC): सरकार ने इस समिति का गठन किया है आगे की प्रक्रिया को कारगर बनाने और मौजूदा सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमेटी को मजबूत करने के लिए।
ए. प्रोत्साहन योजनाएं: माइक्रो विनिर्माण उद्यमों के लिए सब्सिडी योजनाएं, औद्योगिक रूप से पिछड़े ब्लाकों एवं कृषि आधारित उद्यमों, थर्स्ट सेक्टर के उद्यमों के लिए विशेष कैपिटल सब्सिडी, जेनरेटर सब्सिडी, बैक एंडेड ब्याज सब्सिडी और मूल्य वर्धित कर प्रतिपूर्ति सब्सिडी।
बी. स्व रोजगार योजनाओं के कार्यान्वयन: 1. नीड्स, 2. पीएमईजीपी & 3. UYEGP:

1. **नए उद्यम सह उद्यम विकास योजना (नीड्स):** लाभार्थी को पहली पीढ़ी का उद्यमी होना चाहिए। शिक्षित युवाओं को उद्यमी प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनकी व्यापार योजना तैयार करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी और वित्तीय संस्थानों के साथ गठजोड़ में मदद की जाएगी ताकि नई विनिर्माण और सेवा उद्यम स्थापित कर सकें। सब्सिडी: परियोजना लागत का 25% 25.00 लाख रुपये तक सीमित।
प्रमोटरों योगदान: i. जनरल, परियोजना- ए. लागत का 10%, बी. विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ बीसी / विकलांग व्यक्ति) - परियोजना लागत का 5%, ii. आरक्षित श्रेणी- ए. अनुसूचित जाति: 18%, बी. अनुसूचित जनजाति: 1%, सी. विकलांग: 3%, इस योजना के तहत, लाभार्थियों में प्राथमिकता के साथ कम से कम 50% महिलाएं होंगी निराश्रित महिलाएं स्थिति के तहत जो आवश्यक योग्यता उनके पास हो।

2. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी**): यह केंद्र सरकार द्वारा एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है जिसे "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)" कहा जाता है प्रधानमंत्री की रोज़गार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के विलय से सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए पीढ़ी के उद्यमियों को सशक्त बनाना।

3. **बेरोजगार युवाओं को रोजगार सृजन कार्यक्रम (UYEGP**):

परियोजना लागत का 15% तक सब्सिडी सहायता। समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेरोजगारी की समस्याओं को कम करने के लिए, विशेष रूप से शिक्षित एवं बेरोजगार को स्व रोजगारी बनाने के लिए। विनिर्माण/ सेवा/ व्यापार उद्यमों की स्थापना करके अधिकतम क्रमश: 5 लाख रुपए, 3 लाख और 1 लाख रुपए ऋण प्राप्त करने के द्वारा।

ए. वित्तीय सहायता:

i. सामान्य श्रेणी: प्रमोटर योगदान: 10%, बैंक ऋण: 90% सब्सिडी: 15%

ii. विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ बीसी/ अल्पसंख्यक/ महिला/ पूर्व सैनिक/ शारीरिक रूप से विकलांग: प्रमोटरो योगदान: 5%, बैंक ऋण: 95% सब्सिडी: 15%।

बी. एकल खिड़की प्रणाली (SWS): अनुमतियाँ पाने में समय कम करता है, विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रक्रियागत देरी से बचने के द्वारा।

6. एमएसएमई योजनाएं: कर्नाटक

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास: कर्नाटक रत्न एवं आभूषण आर्टिकल निर्यात के लिए प्रमुख केंद्र है और राज्य सरकार बंगलौर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करेगी।

कर्नाटक के एमएसएमई सेक्टर:

1) कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी): 145 विकसित औद्योगिक क्षेत्र और 16,960 से अधिक इकाइयों को भूमि आवंटन।

2) कर्नाटक लघु औद्योगिक विकास निगम (केएसएसआईडीसी): 174 विकसित औद्योगिक क्षेत्र और 13,513 से अधिक इकाइयों को औद्योगिक शेड/ भूखंड आवंटन।

1. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संवर्धन**:

ए. इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट: केआईएडीबी एमएसएमई के लिए भूमि का कम से कम 20% औद्योगिक क्षेत्रों को आवंटित करता है, जिसमें से केआईएडीबी / KSSIIDC 75% भूमि/ शेड सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आवंटित करने के लिए और 25% भूमि मध्यम उद्यमों को आवंटित करने के लिए न्यूनतम आरक्षित करता है। आबंटन योग्य क्षेत्र का 20% शेड के लिए आरक्षित किया जाएगा, जिसमें से 10% बहु मंजिला शेड के लिए निर्धारित किया जाएगा।

बी. वित्त सपोर्ट: ए. वेंचर कैपिटल फंड योजना: सपोर्ट विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के क्षेत्र में शुरू करते हैं।

बी. एंजेल वित्त पोषण योजनाएं: सूक्ष्म और लघु उद्योगों की स्थापना के लिए नवीन विचारों के साथ पहली पीढ़ी के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए।

सी. प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजनाएं: ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नए उद्यमों की स्थापना।

डी. क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) और माइक्रो एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना: ग्रामीण उद्यमियों व कारीगरों को क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के तहत ऋण उधार देने के लिए बैंक।

2. **प्रौद्योगिकी उन्नयन और तकनीकी सपोर्ट**:
ए. **स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन**: के लिए ए. पूंजीगत व्यय, बी. प्रक्रिया उन्नयन, सी. पानी/ बिजली की खपत में कमी, डी. गुणवत्ता के अनुपालन और मानकों, पेटेंट पंजीकरण, आदि में सुधार करने के लिए नई तकनीकें अपनाना।

बी. एमएसएमई कार्यशालाएं और सेमिनार के लिए पुरस्कार: नई प्रौद्योगिकियां अपनाने लेने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए।

सी. गुणवत्ता सुधार हस्तक्षेप: ए. गुणवत्ता प्रमाणपत्र के लिए भरी गई फीस में से एक समय प्रतिपूर्ति, बी. मौजूदा प्रौद्योगिकियों का उन्नयन, सी. गुणवत्ता नियंत्रण और विकास के लिए नई प्रौद्योगिकियों का अधिष्ठापन और डी. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला/ प्रदर्शनी में भागीदारी।

डी. **बाजार विकास**: आम ब्रांडिंग और संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए आभासी और शारीरिक प्रदर्शनी केंद्रों की स्थापना।

ई. मूल्य वरीयता: राज्य में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा निर्मित वस्तुओं का 15% की अनुमति दी जाएगी सरकारी विभागों की खरीद के दौरान राज्य के बड़े और मध्यम उद्योगों के खिलाफ।
एफ. ऑनलाइन सिस्टम: माइक्रो एवं लघु उद्यमों के भुगतान में देरी के बारे में प्राप्त शिकायतों को ट्रैक करने के लिए।
जी. एकल बिंदु विक्रेता पंजीकरण योजना: एनएसआईसी के तहत पंजीकृत एमएसई को उपलब्ध कराने के द्वारा सुविधा दी जाएगी।

i. निविदा लागत से मुक्त करना,
ii. सभी सरकारी विभागों और राज्य के प्रोप्राइटरशिप स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा खरीद के दौरान बयाना के भुगतान से छूट।

कीमत के मूल्यांकन के लिए KTPP नियमों में संशोधन किया जाएगा: बिक्री कर/ वेट कीमत के मूल्यांकन के लिए बाहर रखा जाएगा।

3. **मूल्य श्रृंखला क्लस्टर विकास**: पॉलिसी अवधि के दौरान 20 प्रति वर्ष की दर से विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम 100 क्लस्टर स्थापित किए जाएँगे। ए. एमएसई की स्थिरता और के विकास को सपोर्ट करने के लिए।

बी. एमएसई का क्षमता निर्माण करने के लिए। सी. एमएसई के औद्योगिक इलाकों/ क्लस्टर में ढांचागत सुविधाओं बनाने/ उन्नयन के लिए। डी. एमएसई के आम सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए।
4. **बिजली सब्सिडी**: मान्यता प्राप्त कॉमन फैसिलिटी सेंटर (सीएफसी) के लिए बिजली सब्सिडी रु. 2/- प्रति यूनिट।
5. **सामान्य श्रेणी उद्यमियों द्वारा एमएसएमई कोप्रोत्साहन और रियायतें प्रवर्तित:**
ए. निवेश संवर्धन सब्सिडी: अचल संपत्ति वेल्यू (VFA) पर आधारित एमएसएमई के विभिन्न जोन में दिया गया (जोन 1,2,3 व 4) है।
बी. स्टाम्प शुल्क से छूट: ऋण समझौतों, क्रेडिट डीड, लीज़ डीड, लीज़ कम सेल व पूर्ण सेल डीड आदि के संबंध में एमएसएमई के विभिन्न ज़ोन के आधार पर (जोन 1,2,3 व 4)।
सी. रियायती पंजीकरण शुल्क: सभी ऋण दस्तावेज, लीज़ और सेल डीड पर प्रति 1000 रुपये के लिए रु. 1।
डी. **भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति**: जोन टाइप के आधार पर औद्योगिक उपयोग के लिए कृषि भूमि से परिवर्तित करने के लिए।
ई. प्रवेश कर से छूट: 'संयंत्र, मशीनरी और कैपिटल गुड्स' पर प्रवेश कर से 100% छूट एमएसएमई जोन 1, 2 और 3 और एचके जोन 1 और 2 के लिए 3 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए परियोजना के कार्यान्वयन के प्रारंभ होने की तिथि से।
एफ. ETPs विनिर्माण करने वाली एमएसएमई की स्थापना के लिए सब्सिडी: एक बार पूंजी सब्सिडी ETPs की लागत के 75% के लिए, 100 लाख की सीमा के तहत।
जी. केवल माइक्रो उद्यमों को ब्याज सब्सिडी: अवधि ऋण पर प्रति वर्ष 6% की ब्याज सब्सिडी प्रदान।

एच. परियोजना रिपोर्ट की तैयारी की लागत की प्रतिपूर्ति: प्रति यूनिट 75% रु. 2.00 लाख तक।

आई. महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन: केआईएडीबी/ केएसएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक एरिया/ एस्टेट में भूखण्ड/ शेड महिला उद्यमियों के लिए 5% का रिजर्वेशन। दो औद्योगिक क्षेत्र प्रमुख स्थानों पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं जैसे हुबली/ धारवाड़ और कनकपुरा तालुका में हरोहल्ली।

जे. वस्त्र, रत्न और आभूषण में महिलाओं के लिए विशेष क्लस्टर: CEDOK या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित महिला उद्यमियों को राज्य व्दारा शुरू किए गए उद्यमिता विकास कार्यक्रम, आकर्षक प्रोत्साहन/ कम ब्याज के स्टार्ट अप ऋण (ब्याज सब्सिडी के साथ) के साथ रियायतों और लचीले रीपेमेंट शेड्यूल से प्रोत्साहित किया जाएगा।

के. महिलाओं के लिए एन्टरप्रिन्योरियल इकोसिस्टम:संस्था जो महिलाओं को सफल उद्यमी बनने में मदद करते हैं। चाहे यह प्रशिक्षण हो, सलाह या नेटवर्किंग हो, संस्था जैसे एवेक हो (कर्नाटक की महिला उद्यमियों की एसोसिएशन), Emerg हो (इंजीनियरिंग निर्माता उद्यमियों संसाधन समूह) आदि

एल. आईसीडीएस, सीएफएस एवं लोगिस्टिक पार्कों के विकास को प्रोत्साहित करना: संभावित जिलों के क्लस्टर और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में।

एम. अनिवासी कन्नड़ (NRKs) को प्रोत्साहन प्रचलित नियमों के अनुसार, अनिवासी भारतीयों को निम्नलिखित विशेषाधिकार हैं: ए. इक्विटी की सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है जो एक एनआरआई को मिल सकता है एक एमएसएमई इकाई में व्यक्ति/ भागीदार के रूप में, बी. एनआरआई और विदेशी निगम निकायों (ओसीबी) को पूर्ण स्वदेश वापसी के लाभ के साथ उच्च प्राथमिकता उद्योगों में 100% विदेशी इक्विटी में निवेश करने की अनुमति। सी. एनआरआई कंपनियों/ संगठन के सहयोग से शुरू स्टार्ट अप के लिए एंजेल वित्तपोषण योजनाएं। डी. यूनिट के लिए 50% निर्यात दायित्व लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित उत्पादों में बड़े औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए। ई. टीयर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से राज्य के दो शहरों को प्रोत्साहित करने एवं विकास के लिए राज्य में NRK निवेश लाने के लिए।

एन. निवेश और व्यापार संवर्धन: निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशक बैठक, रोड शो और व्यापार बैठक/ खरीदारों विक्रेता बैठक का राज्य/ राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से आयोजन किया जाएगा। उद्योग की समस्याओं को समझने के लिए और लंबित मामलों को

निपटाने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ जिला/ क्षेत्रीय/ राज्य स्तर पर नियमित रूप से औद्योगिक अदालतें आयोजित की जाएगी।

ओ. निर्यात संवर्धन के लिए रणनीतियां/ निर्यात संवर्धन उपाय: निर्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना:
1. अपने वार्षिक बजट का निश्चित प्रतिशत निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का सपोर्ट करने के लिए आरक्षित है।
2. निजी भागीदारी के इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, लॉजिस्टिक्स पार्क, पूर्व और पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी केन्द्रों, भण्डारण एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।
3. व्यापार निकायों एवं उद्योग संघों को बुनियादी ढांचे विकास, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, प्रशिक्षण केन्द्र एवं परीक्षण केंद्र के विकास को बढ़ावा देने और निर्यात के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. **तेलंगाना सरकार** - एमएसएमई मंत्रालय व्दारा योजनाएं और सेवाओं की पेशकश
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): बेरोजगार युवाओं के लिए एक अवसर है तेलंगाना राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए। पीएमईजीपी और अनुदान के तहत लाभार्थियों की श्रेणी:

श्रेणी	शहरी क्षेत्र (सब्सिडी की दर)	ग्रामीण क्षेत्र (रेट सब्सिडी को)
सामान्य श्रेणी	परियोजना का 15%	परियोजना का 25%
विशेष श्रेणी	परियोजना का 25%	परियोजना का 35%

नोट: (1) विनिर्माण क्षेत्र के तहत इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये है। (2) के तहत सेवा क्षेत्र इकाई की अधिकतम लागत 10 लाख रुपये है।

8. **केरल एमएसएमई योजनाएं/ प्रोत्साहन**
एमएसएमई- विकास संस्थान, त्रिशूर, केरल: एमएसएमई- डि, त्रिशूर, केरल, 1956। यह भावी उद्यमियों के लाभ के लिए विभिन्न कंसल्टेंसी और सहायता सेवाएं, उद्यम संबंधी, तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा उद्यमियों को उनकी उत्पादकता और रोजगार सृजन में वृद्धि करने के लिए।

प्रोत्साहन: सपोर्टिंग सुविधाओं में निवेश के लिए, जैसे प्रदूषण नियंत्रण, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सुविधा आदि और साथ ही सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना के लिए लागत का 50% अधिकतम रु. 25 लाख तक।

•मेगा निवेश रु. 100 करोड़ और ऊपर के परिव्यय के साथ विशेष प्रोत्साहन में अलग अलग मामले के आधार पर एक मामले पर विचार किया जाएगा।

•स्थानीय निकायों की अप्रयुक्त भूमि का एमएसएमई की स्थापना करने के लिए प्राथमिकता होगी।

• **सिंगल विंडो क्लीयरेंस बोर्ड**: नई योजनाओं की क्लीयरेंस/ प्रोत्साहन के लिए पेश किया गया जिसमें सब्सिडी शामिल है।

• क्लस्टर विकास कार्यक्रम की शुरुआत।

• सूक्ष्म, लघु उद्यमों के लिए मूल्य वरीयता नीति और नि:शुल्क निविदा प्रपत्रों की पुनः शुरू की जाएगी।

• सर्विस बढ़ाने एवं वाणिज्य के क्षेत्र में कुशल और अर्ध कुशल जनशक्ति के लिए इन हॉउस रोजगार पैदा करने के लिए।

•इंस्पेक्टर राज की जगह स्व विनियमन और प्रमाणन लागू किया जाएगा।